कृपया प्रकाशनार्थ **19 जनवरी, 2010**

मनोरी खाडी पर ब्रीज बाँधने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति नही

राम नाईक ने किया भँाडा फोड

मुंबई, मंगलवार : केंद्र सरकार की अनुमति लिए बगैर ही एमएमआरडीए मनोरी खाडी पर ब्रीज बांधन चली है, पर्यावरण मंत्रालय के कानून को नजरअंदाज कर यह पूल बनाने की योजना बन रही है, ऐसा भाँडा फोड पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने आज एक प्रेस विज्ञप्ती द्वारा किया.

श्री.राम नाईक ने याद दिलाया कि मनोरी, गोराई के मछुआरे तथा किसानों के विरोध के बावजूद कुछ रईस धनपती लोगों की भलाई के लिए 'यातायात प्रबंध' का झूठा बहाना कर एमएमआरडीए ने मार्वे - मनोरी खाडी पर ब्रीज बनाने के लिए नवंबर 2009 में टैंडर निकाले. सीआरझेड के क्षेत्र में 200 करोड रुपयों का बडा काम एमएमआरडीए करने जा रही है, जब की इस क्षेत्र में बाँधकाम करना मना होता है. सीआरझेड में आनेवाला यह क्षेत्र नौसेना के 'आयएनएस हमला' तथा सेना के 'हेवी ब्रीज ट्रेनिंग सेंटर' के काफी नजदिक है यह देखते हुए इस प्रकल्प के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुमती भी जरुरी है. यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के इन दोनो मंत्रालयों ने किस आधार पर मंजूर किया ऐसा सवाल उठानेवाले पत्र श्री.राम नाईक ने 19 नवंबर 2009 को दोनों ही मंत्रियों को लिखे थे. केंद्रिय पर्यावरण व वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री. जयराम रमेश ने 14 जनवरी 2010 को पत्र भेजकर श्री.राम नाईक को स्पष्ट जानकारी दी कि सीआरझेड क्षेत्र में मनोरी खाडी पर पूल बाँधने का कोई भी प्रस्ताव उन्हे महाराष्ट्र सरकार ने भेजाही नही है. दुसरी ओर रक्षा मंत्री श्री.ए.के. अँथनी ने भी वे इस विषय की जाँच करवा रहे है ऐसा श्री.नाईक को लिखा है.

''पर्यावरण राज्यमंत्री श्री.जयराम रमेश के पत्र से यह साफ है कि सभी नियमों को नजरअंदाज कर एमएमआरडीए मनोरी खाडी पर ब्रीज बनाना चाहती है, मगर हम वैसा होने नही देंगे, ''ऐसी स्पष्ट चेतावनी श्री.राम नाईक ने दी है. केंद्र सरकार की अनुमती के बगैर एमएमआरडीए ने यह ब्रीज बाँधने का निर्णय कैसे किया, उसके लिए किस आधार पर टेंडर मँगवाए इसकी मुख्यमंत्री श्री.अशोक चव्हाण जाँच करें, ऐसी माँग भी श्री. राम नाईक ने की है.

(कार्यालय मंत्री)

संलग्न : पर्यावरण मंत्री श्री. जयराम रमेश का पत्र

जयराम रमेश
JAIRAM RAMESH

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पर्यावरण एवं वन
भारत सरकार
नई दिल्ली–110003
MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
ENVIRONMENT & FORESTS
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI - 110 003

D.O.No.2-15/2009-IA-III/2830

14th January 2010

Dear Shri Ram Naikji -

This has reference to your letter dated 19th November 2009 regarding construction of Cable-stayed Bridge across Manori Creek in Mumbai. It is informed that no such proposal has been received from the Government of Maharashtra for the CRZ clearance.

With regards,

Yours sincerely,

(Jairam Ramesh)

Shri Ram Naik,
Former Petroleum Minister
9, Shivsmriti, 51 Jaiprakash Nagar
Goregaon East
Mumbai 400 063